न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 104/**14 (वाद)**

1. श्री जयपालसिंह पिता स्व.रघुसिंह राणावत, निवासी गोदेला, तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री भंवरसिंह पिता भानसिंह राणावत निवासी गोदेला, तहसील मावली।
2. श्री जवेरलाल पिता पन्नालाल सुथार निवासी चावडावास, तहसील गोगुन्दा।
3. श्री किशोर कुमार पिता इन्द्रचन्द्र जोशी निवासी 3 ए 11, गुप्तेश्वर नगर, सेक्टर नम्बर 7, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
4. सीमा पुत्री स्वर्गीय रघुसिंह पत्नी श्री हर्षवर्धनसिंह चौहान, निवासी खुदाराडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर।
5. नीना पुत्र स्वर्गीय रघुसिंह पत्नी श्री राजवर्धनसिंह राजपुत, निवासी ठिकरिया, पालोदा, जिला बांसवाडा।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादी।

2. श्री राजेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 4 एवं 5 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15.01.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेडा भानसोल, पटवार हल्का भानसोल, तहसील मावलीर की आराजी संख्या 1632/1585 कीता 1 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित हैं।
2. पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न पेश किया :–

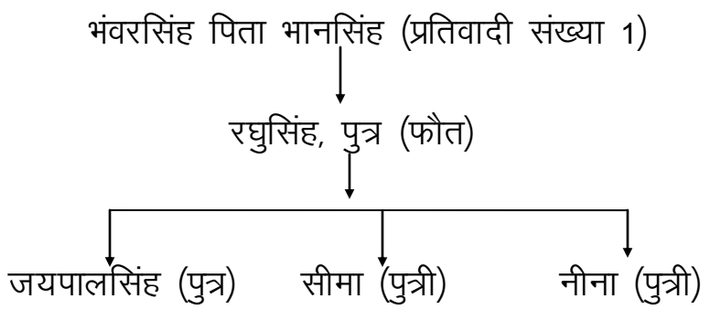

3. वादग्रस्त भूमि में वादी की पैतृक सम्पति है और जिसमें मुझ वादी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है उक्त भूमि में अपने हिस्से भूमि में काबिज हो

उपयोग उपभोग कर रहा हूं। वर्णित आराजीयात् में मुझ वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है लेकिन उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मै वादी अपने पिता के हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा हुं मुझ वादी के पिता श्री रघुसिंह जी का देहावसान हो चुका है। मै वादी एवं प्रतिवादी सीमा, नीना प्रतिवादी संख्या 1 के पौत्र है। मुझ वादी का अपने पिता के हिस्सा भूमि पर अपने हिस्सा अनुसार कब्जा है और काश्त करता आ रहा हुं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति को कोई हक अधिकार नही है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठा मुझ वादी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से वाद में वर्णित सम्पूर्ण भूमि को अपनी बताते हुये प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर दिनांक 17.01.2014 को विक्रय कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा कोई विधिक अधिकार है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 ने जो विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2014 को सम्पादित करवाया है वह मुझ वादी के मुकाबले बेअसर व शून्य निष्प्रभावी है। वर्णित आराजी का कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 2 एंव 3 को नही दिया गया है क्योंकि आधा हिस्से पर मुझ वादी का कब्जा है। हिस्से से अधिक भूमि हस्तांतरण करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है।

4. मुझ वादी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि वर्णित भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादी को जन्म से ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गया है लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 मौके पर आकर जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है एवं वादी को धमकिया दे रहे है कि अपना कब्जा हटा लेना वरना हम ताकत के बल पर तुम्हार कब्जा हटा देगें इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हूं।

5. वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 14.04.2014 को उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने मुझको मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वर्णित आराजी जो मुझ वादी की पैतृक सम्पति है उक्त भूमि में मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाया जावें एवं वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद वर्णित आराजी में मुझ वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे बेदखल नही करे कब्जा नही करें रहन बेह बक्षीस आदि द्वारा हस्तांतरित नही करे। उक्त कार्य न स्वयं न ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट इत्यादि से ही करवाये। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त होने पर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 4 एवं 5 द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।
8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री जयपालसिंह का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की।
9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।
10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को

वादी द्वारा अपनी पैतृक भूमि बताते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 4, 5 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है। हमारे द्वारा वादपत्र के अवलोकन से भूमि प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह के नाम दर्ज पाया गया है, जो प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी सं. 2 व 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.01.2014 को विक्रय कर दी। चूंकि वादी द्वारा वाद में भूमि पैतृक होने का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह जाहीर होता हो कि भूमि प्रतिवाद सं. 1 के मौरूसी होकर वादी की पैतृक सम्पति हो। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने एवं पैतृक का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति होना जाहिर आता हैं। जिसृका उपयोग उपभोग करने एवं विक्रय करने का प्रतिवादी सं. 1 को पूरा–पूरा अधिकार हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 हिन्दु कर्ता खानदान होने से भी प्रतिवादी को अपने नाम दर्ज भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा अधिकार है। चूंकि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 17.01.2014 को विक्रय कर दी है जिसे भी निरस्त करवाने की वादी द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं की है। भूमि पैतृक होने का तथ्य वादी अपने दस्तावेजों के माध्यम से साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री जयपालसिंह पिता रघुसिंह राणावत, निवासी गोदेला, तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री भंवरसिंह पिता भानसिंह राणावत निवासी गोदेला, तहसील मावली।
2. श्री जवेरलाल पिता पन्नालाल सुथार निवासी चावडावास, तहसील गोगुन्दा।
3. श्री किशोर कुमार पिता इन्द्रचन्द्र जोशी निवासी 3 ए 11, गुप्तेश्वर नगर, सेक्टर नम्बर 7, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
4. सीमा पुत्री स्वर्गीय रघुसिंह पत्नी श्री हर्षवर्धनसिंह चौहान, निवासी खुदाराडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर।
5. नीना पुत्र स्वर्गीय रघुसिंह पत्नी श्री राजवर्धनसिंह राजपुत, निवासी ठिकरिया, पालोदा, जिला बांसवाडा।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 104/14 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.01.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली